कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक: 31.08.2026

▶ थाना अलीनगर पुलिस व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में फर्जी नम्बर प्लेट लगी अर्बन क्रूजर वाहन से 273 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

▶ बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 3.00 लाख रूपयें।

पुलिस कार्यवाही-

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर गगनराज सिंह व प्रभारी सर्विलांस सेल उ0नि0 आशीष मिश्रा के कुशल नेतृत्व थाना अलीनगर व सर्विलांस पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनाँक 31.08.2026 को थाना अलीनगर पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान NH-19 सिन्धीताली पुल के पास वाहन की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा 01 अर्बन क्रूजर वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। वाहन चालक ने पुलिस टीम को देखकर जान से मारने की नियत से गाड़ी पुलिसकर्मियों पर चढ़ाने का प्रयास किया और भागने लगा। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए डिवाइडर की तरफ हटकर स्वयं को सुरक्षित किया और घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया।

▪ गाड़ी में सवार दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर वाहन की तलाशी ली गई तो फर्जी नम्बर प्लेट लगी अर्बन क्रूजर वाहन (जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट UP32MQ9312 लगा है) से 273 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु०अ०सं०-545/2026 धारा 109(1)/318(4)/319(2) बीएनएस व 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

▪ वाहन पर लगी नम्बर प्लेट (UP32MQ9312) की जांच ई-चालान ऐप से करने पर पंजीकृत चेसिस/इंजन नम्बर वाहन पर अंकित चेसिस नम्बर से मेल नहीं खाया। वाहन के असली चेसिस नम्बर (MA3PYGJ1SNG981601) की जांच करने पर असली वाहन संख्या HR87J1833 (वाहन स्वामी: अंशुल ग्रोवर, फरीदाबाद, हरियाणा) पायी गयी।

पुलिस से बचने व पहचान छिपाने की नियत से अभियुक्तों द्वारा गाड़ी पर फर्जी नम्बर प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा था।

पूछताछ विवरण-

पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि बिहार राज्य में शराबबंदी होने के कारण वे फरीदाबाद (हरियाणा) से सस्ते दामों पर अवैध शराब खरीदकर लाते हैं और बिहार ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं, जिससे उन्हें मोटा मुनाफा होता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-मयंक रावत पुत्र हयात सिंह, निवासी: वार्ड नं0 06, फरीदाबाद, थाना सारन, जनपद फरीदाबाद (हरियाणा), उम्र करीब 28 वर्ष। (वाहन चालक)

2-शुभम तिवारी पुत्र कमलेश तिवारी, निवासी: जाफरगंज, थाना जाफरगंज, जनपद फतेहपुर (उत्तर प्रदेश); हाल पता: NIT-1, JK-10, थाना कोतवाली फरीदाबाद (हरियाणा), उम्र करीब 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं०-545/2026 धारा 109(1)/318(4)/319(2) बीएनएस व 60/63 आबकारी अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

बरामदगी विवरण-

1अवैध अंग्रेजी शराब: कुल 273 लीटर (हरियाणा राज्य में बिक्री हेतु मान्य)

रायल ग्रीन: 100 बोतल (प्रत्येक 750 ML)

रायल ग्रीन: 312 बोतल (प्रत्येक 375 ML)

व्हाइट एण्ड ब्लू: 216 बोतल (प्रत्येक 375 ML)

2- 01 अर्बन क्रूजर गाड़ी (फर्जी नम्बर प्लेट UP32MQ9312 लगा हुआ, वास्तविक नम्बर HR87J1833)

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

उ0नि0 अमित कुमार सिंह थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली

उ0नि0 अनिल कुमार यादव थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली

का0 शिवांशु सिंह थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली

का0 आकाश सिंह थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली

का0 अभिषेक दूबे थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली

का0 प्रवेश सिंह थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली

सर्विलांस टीम-

उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली।

हे0का0 प्रेम प्रकाश यादव सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली।

हे0का0 आदित्य शंकर पाण्डेय सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली।

हे0का0 मन्टू सिंह सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली।

का0 नीरज कुमार मिश्रा सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली।

का0 मनीष कुमार सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली।

का0 मनोज यादव सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली।

का0 गणेश तिवारी सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली।

का0 संदीप कुमार सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली।